बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–695/2017 8062 /पटना, दिनांक–24/08/2017

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित 01 पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई 3.00 कि0मी0 एवं राशि 76.350 लाख (छिहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपयें के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड का नाम	श्रेणी	पथ का नाम	पथ की लंबाई (कि0मी0)	मुल प्राक्कलित राशि (लाख में)	5–वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	त्रिवेणीगंज	छातापुर	श्रेणी–2	कोरियापट्टी राजेश्वरी पथ	3.00	53.418	22.932	76.350

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्तर से MBD आधारित ई–निविदा आमंत्रित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–695/2017 के पृ0–02/टि0 पर दिनांक 10.07.2017 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–24.07.2017 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–695/2017 के पृ0–04/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

S. Kumar

(61)

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं0-96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-695/2017 के पृ0- /टि0 पर दिनांक- को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(संजय कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-695/2017 8062 /पटना, दिनांक 25/8/17
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-695/2017 8062 /पटना, दिनांक 25/08/17
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-2 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव